

Vol III Issue VII April 2014

ISSN No : 2249-894X

---

*Monthly Multidisciplinary  
Research Journal*

*Review Of  
Research Journal*

Chief Editors

---

**Ashok Yakkaldevi**  
A R Burla College, India

**Flávio de São Pedro Filho**  
Federal University of Rondonia, Brazil

**Ecaterina Patrascu**  
Spiru Haret University, Bucharest

**Kamani Perera**  
Regional Centre For Strategic Studies,  
Sri Lanka

## Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2249-894X

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

### Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Horia Patrascu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Mabel Miao Center for China and Globalization, China
Kamani Perera Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka	Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Ruth Wolf University Walla, Israel
Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Xiaohua Yang University of San Francisco, San Francisco	Jie Hao University of Sydney, Australia
Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Karina Xavier Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA	Pei-Shan Kao Andrea University of Essex, United Kingdom
Catalina Neculai University of Coventry, UK	May Hongmei Gao Kennesaw State University, USA	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania
Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania	Marc Fetscherin Rollins College, USA	Ilie Pinte Spiru Haret University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Liu Chen Beijing Foreign Studies University, China	
Mahdi Moharrampour Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran	Nimita Khanna Director, Isara Institute of Management, New Delhi	Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai
Titus Pop PhD, Partium Christian University, Oradea, Romania	Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur	Sonal Singh Vikram University, Ujjain
J. K. VIJAYAKUMAR King Abdullah University of Science & Technology, Saudi Arabia.	P. Malyadri Government Degree College, Tandur, A.P.	Jayashree Patil-Dake MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC), Kachiguda, Hyderabad
George - Calin SERITAN Postdoctoral Researcher Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi	S. D. Sindkhedkar PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [ M.S. ]	Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary Director, Hyderabad AP India.
REZA KAFIPOUR Shiraz University of Medical Sciences Shiraz, Iran	Anurag Misra DBS College, Kanpur	AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI, TN
Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur	C. D. Balaji Panimalar Engineering College, Chennai	V.MAHALAKSHMI Dean, Panimalar Engineering College
	Bhavana vivek patole PhD, Elphinstone college mumbai-32	S.KANNAN Ph.D , Annamalai University
	Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play (Trust), Meerut (U.P.)	Kanwar Dinesh Singh Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India  
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.net



## विधि में शिक्षण व प्रशिक्षण में चुनौतियां – एक अध्ययन

विश्वास चौहान , कुसुम चौहान

सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय राज्यस्तरीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, भोपाल (म. प्र.)  
आईसेक्ट विश्वविद्यालय, भोपाल.

### सारांश :-

स्वतंत्रता पश्चात् विधिक शिक्षा का संचालन अधिवक्ता अधिनियम 1959 के द्वारा किया जाने लगा। 1958 में यू.जी.सी. का गठन हुआ। उसके पश्चात्, बी.सी.आई. जिसका गठन अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, उसके यू.जी.सी. के साथ विवाद प्रारंभ हो गए। इससे विधिक शिक्षा के स्तर में गिरावट प्रारंभ हो गयी। विधि महाविद्यालय, विधि, शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए। उदासीनता के कारण विधि व्यवसाय की गुणवत्ता पर प्रभाव हुआ। वर्तमान में पुनः समाज में विधि महाविद्यालय व विधि शिक्षक की भूमिका पर चिंतन करने का समय प्रारंभ हो गया है। वैश्वीकरण के युग में विधिक शिक्षा प्रणाली का पुनरुत्थान किया जाना चाहिए। शोध का मुख्य उद्देश्य विधि महाविद्यालय में शिक्षण व प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आ वही रुकावट व समाधान है।

### प्रस्तावना :

इस शोध में सैद्धांतिक शोध प्रणाली का प्रयोग किया गया है। विधि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह विद्यार्थी को दक्ष बनाए। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परन्तु विधि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के इस व्यावहारिक कौशल में वृद्धि करने पर विशेष जोर नहीं दिया जाता है।

सर्वत्र यह महसूस किया जाता रहा है कि विधि शिक्षक स्वयं की भूमिका व विद्यार्थियों को बेहतर अधिवक्ता बनाने की भूमिका में असफल हो रहे हैं।

भारतीय विधि व्यवस्था विधि के विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण व उनकी दक्षता संवर्धन के लिए प्रभावकारी आदर्श योजना का निर्माण करने में असफल रही है।

भारत में विधि शिक्षा अनेक विनियोग प्राधिकारियों द्वारा शासित होती है। जैसे बी.सी.आई., राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विधि आयोग की चौदहवीं रिपोर्ट, भारतीय ज्ञान आयोग, उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो विधि शिक्षक के सम्मुख उपस्थित चुनौती को दर्शाते हैं।

इसके साथ ही अनेक विधि संस्थान हैं जो विधिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनकी अलग श्रेणियां हैं जैसे— निजी महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय, शासकीय विधि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि संस्थान आदि।

### सामान्यतः विधिक शिक्षण के सम्मुख चुनौतियां निम्न हैं:-

1. विधिक शिक्षा में संख्यात्मक तौर पर कई महाविद्यालय स्थापित किये गये हैं।
2. स्नातक व पर स्नातक विषय में कई विद्यार्थी पंजीकृत हैं जो पूर्णकालिक न होकर अंशकालिक हैं।
3. विधि महाविद्यालय ने विधि शिक्षक व ग्रन्थालय की अत्यन्त कमी है।
4. विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की तुलना में विधि विभाग अल्प हैं।

Title: " विधि में शिक्षण व प्रशिक्षण में चुनौतियां – एक अध्ययन", Source: Review of Research [2249-894X] विश्वास चौहान , कुसुम चौहान yr:2014 | vol:3 | iss:7

5. प्रवेश में अनियमितता, शिक्षण के मानक व मूल्यांकन में गिरावट है।
6. अंशकालिक शिक्षकों द्वारा नैतिक मूल्यों में गिरावट है।
7. विधि स्नातक व परास्नातक के पाठ्यक्रम में विधिक शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जाना।
8. वर्तमान परिदृश्य में प्रशासनिक कार्यों में विधि प्राध्यापक का सर्वाधिक समय व्यर्थ होता है जिससे वह अकादमिक कार्य को ज्यादा समय नहीं दे पाते।
9. विधि प्राध्यापकों के एक समूह का मानना है कि भारतीय विधिक शिक्षा का पुनरुद्धार होना चाहिए तथा अधिवक्ता की समाज में प्राथमिक भूमिका होना चाहिए।
10. विधि प्राध्यापकों का एक समूह का मानना है कि विधि शिक्षक का प्राथमिक दायित्व है कि वे बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य करें।
11. कुछ विधि शिक्षकों का मत है कि बेहतर शिक्षण व्यवस्था शोध व लेखन से ही आती है।
12. विधि प्राध्यापकों के एक समूह का मत है कि उनका प्राथमिक दायित्व किसी एक विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करना है।
13. विधि प्राध्यापकों का एक वर्ग विदेशी कानून से भारतीय विधि विद्यार्थियों का अवगत कराने पर भी बल देता है।

उपरोक्त तथ्य से ज्ञात होता है कि विधि में विभिन्न संचालन प्राधिकारी, शिक्षकों का रुख, विद्यार्थियों की सोच यह इंगित करती है कि विधिक व्यवहारिक विश्लेषण प्रशिक्षण का नितान्त अभाव है।

#### सुझाव—

1. विधि विद्यार्थी को विधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक विषयों का सतत मूल्यांकन कर दक्षता पाठ्यक्रम व क्लिनिकल प्रयोग प्रारंभ करना होंगे।
2. विधि प्राध्यापकगण भी इस बात से सहमत हैं कि अधिकांश विद्यार्थी समस्या हल न कर पाने, विधिक शोध लेखन की अपरिपक्वता, विश्लेषणात्मक क्षमता का अभाव इत्यादि के कारण महाविद्यालय छोड़ देते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता व पृष्ठभूमि भिन्न होती है। विधि महाविद्यालय को इस आवश्यकता को समझते हुए उनका सतत मूल्यांकन कर उनकी दक्षता में वृद्धि करना चाहिए। जिससे विद्यार्थी शिक्षार्थी से विशेषज्ञ विद्यार्थी बन सकें जिस ज्ञान की कमी हो उसे प्राप्त करें, सही ज्ञान प्राप्त करें। यह आत्मविनियोग की प्रक्रिया है। कोई भी महाविद्यालय सभी परिस्थितियों की कल्पना करके विद्यार्थियों को दक्ष नहीं बना सकता उन्हें स्वयं ज्ञान व दक्षता अर्जित करना होगी।
3. सैद्धांतिक विषयों में शिक्षक केस स्टडी विधि से विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थी व शिक्षक शोध प्रविधि से भी परिचित नहीं होते न ही प्राध्यापक उनका विस्तार से उनका उपयोग वर्णित करते हैं। सतत मूल्यांकन ही विद्यार्थी की दक्षता में सहयोग कर सकता है। इसके लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, विद्यार्थी द्वारा प्रारूपण लेखन पर शिक्षक की प्रतिक्रिया इत्यादि हैं। कोई भी मूल्यांकन तब तक लाभदायक नहीं हो सकता जब तक कि प्राध्यापक उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। प्राध्यापकगण ही उसे सही व गलत बता सकते हैं। त्रुटि सुधार कर सकते हैं। विद्यार्थी की आंतरिक सोच व शिक्षक के सहयोग के बिना वह दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
4. विधिक पद्धति विषय को पंचवर्षीय पाठ्यक्रम से अध्यापित किया जाता है। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में संशोधन कर उक्त विषय को जोड़ा जाना चाहिए।
5. प्रारंभ से ही एक विवादास्पद प्रश्न रहा है कि क्या विधि प्राध्यापकों को बार में प्रेक्टिस की अनुमति दी जाना चाहिए? समर्थन में तर्क है कि इससे वे विद्यार्थियों को दक्ष बना सकेंगे, क्योंकि पूर्णकालिक शिक्षक विद्यार्थी को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। विरोध में तर्क है कि चूंकि वे प्रेक्टिस में रूचि नहीं रखते थे इसलिए उनके द्वारा इस आजीविका का चयन किया गया। समाज में बेहतर अधिवक्ता देने के लिए आवश्यक है कि विधि शिक्षक को वैकल्पिक विवाद प्रणाली, विधिक सलाहकार व क्लिनिकल प्रेक्टिस की अनुमति दी जाना चाहिए।

#### निष्कर्ष—

यह एक सामान्य धारणा है कि विधि प्राध्यापकगण बेहतर विद्यार्थी तैयार करने में विफल रहे हैं। विधिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विधिक जागरूकता का प्रचार-प्रसार कर बार व बैंच के रूप में एक मजबूत विधिक व्यवस्था प्रदान करना है। अन्य विषयों की तुलना में विधि प्राध्यापकगण सदैव उपेक्षित रहे हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की द्वारा भी इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। विधि महाविद्यालय विधि प्राध्यापकगण इस सामान्य धारणा को दूर करने के लिए अध्ययन व अध्यापन में सकारात्मक सुधार लायेंगे। विभिन्न विनियोग प्राधिकारी के स्थान पर एक रेग्युलेटरी प्राधिकारी द्वारा ही विधि विषय संचालित किया जाए। तब ही बेहतर विद्यार्थी व अधिवक्ता में अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे।

**संदर्भ सूची-**

1. बक्शी उपेन्द्र, सोशियो लीगल रिसर्च इन इंडिया-ए प्रोग्रामस्क्रिप्ट सेकण्ड फ्लोर, इली, न्यू दिल्ली 2001, एट पी.644 एन्थॉनी नाइडविकी, टिचिंग फॉर लाईफलॉग लर्निंग इम्पूविंग द मेटाकॉग्निटिव स्किलस ऑफ लॉ स्टूडीज थ्रॉ मॉर इफेक्टिव फॉरमेटिव एसेसमेंट टेक्निक (अवेलेबल एट <http://heinonline.org>)
2. फेमिली जिम्मरमेन शूड लॉ प्रोफेसर्स हेव ए कन्टीन्यूइंग प्रेक्टिस एक्सपिरियंस (सी.पी.ई.) रिक्वायरमेंट (अवेलेबल <http://ssrn.com/abstract=2165551>) रॉबिन के. मिल्स, लीगल रिसर्च इन्सट्रक्शन इन लॉ स्कूल द स्टेट ऑफ द आर्ट, सेकण्ड, नई दिल्ली, 2001 एट पी.633.

# Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Books Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

## Associated and Indexed, India

- ★ Directory Of Research Journal Indexing
- ★ International Scientific Journal Consortium Scientific
- ★ OPEN J-GATE

## Associated and Indexed, USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal  
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra  
Contact-9595359435  
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com  
Website : www.ror.isrj.net